GST Hindi update on hearing on Whatsapp

COVID 19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति में सभी ऑफिसे स और गोवेर्मेंट के कार्यालय भी बंद है ऐसे में काफी सारे cases है जिनकी hearing भी pending पड़ी है। सरकारने ORDINANCE से SECTION 168A INSERT करके इस सेक्शन में प्रदत्त शक्तियों काउ पयोग करते हुए NOTIFICATION 35/2020 जारी किया था।इस नोटिफिकेशन यह बताया गया है कि कोई भी कार्य जो कि 20 मार्च से लेकर 29 जून 2020 तक होना है तो उसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई थी। इन सभी CASES की PERSONAL HEARING भी स्थगित हो गई है।

इस कारण CBIC ने अप्रैल में निर्देश जारी किये कि CUSTOMS,EXCISE, GST और SERVICE TAX के PENDING कारण बताओ नोटिस या अपील सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ करने की फील्ड कार्यालयों को अनुमति दी है। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए डिवाइस के साधनों की जरूरतों और सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करने के तरीकों पर जोर दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा है कि COVID 19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितिऔ र SOCIAL DISTANCING के मान दंडों का पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए DEMAND NOTICES के संबंध में VIRTUAL MODE में व्यक्तिगत सुनवाई करना आवश्यक होगया है।

COVID 19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी DEMAND NOTICES के संबंध में "व्यक्तिगत सुनवाई" आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जब तक आगे की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक व्यक्तिगत सुनवाई कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी। क्योंकि इसकी पहुंच आम लोगों के बीच है। व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऐसे उपयुक्त मोड के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें 'एंड टू एंड एन्क्रिप्शन' भी है।

STATE GST AUTHORITY ने कहा है कि सभी PARTIES को व्हाट्स एप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से VIRTUAL HEARING के लिए सहमति देनी चाहिए और उसी के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रदान करना चाहिए। इसके बाद सुनवाई की तारीख और समय को सूचित किया जाएगा। व्यक्तिगत सुनवाई से एक दिन पहले ही नोटिस से पुष्टि करनी होगी कि HEARING करना चाहते हैं।जबकि नोटिस में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर text message द्वारा निर्धारित समयसे 15 मिनट पहले अपनी उपस्थिति की पुष्टि करनी होगी।

सुनवाई समाप्त होने के बाद अधिकारियों द्वारा WHATSAPP MESSAGE का उपयोग PDF FORMAT में PERSONAL HEARING MEMOS भेजे जाएंगे। इन्हें noticee or noticees द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा और HEARING MEMO प्राप्त होने के 15 मिनट के भीतर उसी व्हाट्सएप नंबर पर AUTHORITY को वापस भेजना होगा।

इसके लिए अपना ई जाने वाली मानक प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. सभी NOTICEES ने अपने WRITTEN SUBMISSION में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वे VIRTUAL MODE में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए सहमत हैं या नहीं, और उनके "AUTHORISED SIGNATORY" का व्हाट्सएप नंबर भी देना होगा।

2. NOTICEES को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिस पर निर्धारित दिन तथा नियत समय पर व्यक्तिगत सुनवाई VIRTUAL MODE पर की जाएगी।

3. NOTICEES को व्यक्तिगत सुनवाई से 1 दिन पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर इसके फाइल नंबर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने वाले नाम वह उनके पद का विवरण देते हुए अपनी उपलब्धता की पुष्टि करनी होगी। के साथ ही ऐसे सभी व्यक्तियों की संख्या और PRIMARY PERSON का नाम तथा उसका मोबाइल नंबर भी बताना होगा। इस व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपलब्ध कराए गए व्हाट्सएप नंबर पर वकालत नामा, AUTHORISATION LETTER आदि को PDF FORMAT में भेजना अनिवार्य होगा।

4. व्यक्तिगतसुनवाईकीतिथिपरदिएगएसमयसे 15 'मिनटपहलेव्हाट्सएपनंबर पर TEXT MESSAGE भेजना होगा कि वे अपने कानूनी प्रतिनिधि के साथ अथवा उनके बिना भी सुनवाई के लिए तैयार हैं।व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों तथा नोटिस में दिया गया व्हाट्सएप नंबर को मिलाकर एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि इस ग्रुप में व्यक्तिगत सुनवाई हो सके।

5. व्यक्तिगत सुनवाई पूरी होने पर एक PERSONAL HEARING MEMO को व्हाट्सएप नंबर से PDF FORMAT में PRIMARY CONTACT नंबर पर भेजा जाएगा। PRIMARY CONTRACT PERSON को इस पीडीएफ फाइल का प्रिंटआउट लेकर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान सभी उपस्थित व्यक्तियों का हस्ताक्षर करवाने होंगे और इसे वापिस PDF FORMAT में उसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस 15 मिनट में भेजना होगा। यदि व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने वाले सभी लोग अलग-अलग स्थानों पर हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से PDF FORMAT का प्रिंट लेकर उसपरअलग-अलग SIGNATURE करने होंगे तथा इस पेपर को PDF FORMAT में CONVERT करके PRIMARY

CONTACT PERSON को भेजना होगा। इसके पश्चात PRIMARY CONTACT PERSON इन सभी PDF FORMAT में प्राप्त फाइलों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिए गए नंबर पर भेज देगा।

यह सुविधा तब तक बनी रहेगी जब तक कोई अन्य सुरक्षित या आसान दूसरा तरीका नहीं आ जाता है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com , at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21 .